



Neutral Citation No - 2026:AHC:24421

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4192

श्रीमती इर्फाना बेगम एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुनील कुमार तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को सूचना जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश के उपांतरण/परिवर्तन की प्रार्थना करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याचिकाकर्तागण ने वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं सहित प्रस्तुत की है:-

i. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए, जो प्रतिवादी संख्या 4 को यह निर्देशित करे कि वे अभ्यावेदन दिनांकित 13-05-2025 पर विचार करें एवं उसे विनिर्णीत करें,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं ने नई खतौनी 1429-1435 फसली/राजस्व अभिलेख में खाता संख्या 1234, गाटा संख्या 2317ख क्षेत्रफल 0.0200 हेक्टेयर, गाटा संख्या 2319ग क्षेत्रफल 0.0100 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 2322ग क्षेत्रफल 0.9960 हेक्टेयर में याचिकाकर्ताओं के नाम सह-खातेदार के रूप में विधि अनुसार दर्ज करने का अनुरोध किया है, जो उनके समक्ष लंबित है, ताकि न्याय हो सके।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण दीर्घ काल से प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष लंबित है और पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज पर्यन्त प्रकरण में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 4/उप जिलाधिकारी, तहसील शाहाबाद, रामपुर उपर्युक्त दाखिल आवेदन को **विधि अनुसार कड़ाई से** तथा यथासंभव प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतीकरण की **तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर**, अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बगैर, **शीघ्रातिशीघ्र** विनिर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले का न्यायनिर्णयन गुणागुण के आधार पर नहीं किया है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"